REVIEW OF RESEARCH

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 1 | OCTOBER – 2017

मानव अधिकार एवं मानव अधिकारों को संरक्षित करने में शिक्षा की भूमिकाः अन्तर्राष्ट्रीय तथा भारतीय सन्दर्भ में एक अध्ययन

देवेन्द्र सिंह चम्याल[1], डॉ० अजय सिंह लटवाल[2], गीता लटवाल[3]

[1]एम० एस–सी० रसायन विज्ञान, एम० ए० गणित, एम० ए० इतिहास, एम० एड० (गोल्ड मैडलिस्ट), शोध छात्र, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ वि०वि० नैनीताल, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।

[2]प्रवक्ता, बी० एड० संकाय, पी० जी० कॉलेज, रामनगर, नैनीताल।

[3]एम० एड०

सरांश

प्रत्येक व्यक्ति राज्य से कुछ अधिकार प्राप्त करता है। वह इन अधिकारों को परिवार के एक सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। ऐसे अधिकारों को **मानव अधिकारों** की संज्ञा दी जाती है। मानव अधिकार की अवधारणा अति प्राचीन है। प्राचीन काल में इनको **प्राकृतिक अधिकार** के नाम से पुकारा जाता था। संविधान द्वारा प्रदान किए गये और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को **अधिकारों का घोषणापत्र** कहते है। अतः अधिकारों का घोषणापत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरूद्ध काम करने से रोकता है, और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं। ये अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। मूल अधिकार विधिक अधिकारों से सर्वोच्च होते हैं। भारतीय संविधान के **भाग– 3** में **मौलिक अधिकारों** का वर्णन किया गया है, उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख है। **सार्वजनिक घोशणा** में प्रस्तावना के साथ **30 अनुच्छेद** है। **1995** से **2004** ई० तक का दशक मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। **10 दिसम्बर** को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू हो जाने के बाद भारत के सभी नागरिकों को सूचनाएं मांगने/पाने का अधिकार है। अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहॉ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के घोतक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम **मौलिक अधिकार कहते हैं।** अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता हैं, जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। मानवाधिकार शिक्षा के लिए तीन उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है, प्रथम– **राष्ट्रीय उपागम**, द्वितीय– **तुलनात्मक उपागम** तथा तृतीय– **अन्तर्राष्ट्रीय उपागम।** शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने लायक बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक व अवास्तविक अधिकारों में अन्तर बताती है।

मुख्य शब्दः मानवाधिकार, मानवाधिकार शिक्षा, भारतीय संविधान, घोषणापत्र, संयुक्त राष्ट्र संध।

प्रस्तावना

मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास **ब्रिटेन** में तब हुआ जब **1215** में **सम्राट जॉन** का ब्रिटिश की जनता ने प्राचीन स्वतन्त्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु, **मैग्ना कार्टा** पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश जनता ने 1689 में सम्राट को उन अधिकारों के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। फ्राँस में 1789 में फ्राँस के लुई सोलहवें को इसलिए फॉसी पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि उसने जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था। **मानव अधिकार** वे अधिकार हैं, जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित हैं। मानव अधिकार हमें मानव के रूप में अपना पूर्णरूप से विकसित होने के लिए अवसर प्रदान करती है। साथ ही इनके द्वारा मानवीय गुणों, प्रतिभावों तथा चेतना का सदुपयोग किया जाता है। यह अधिकार मानवता पर आधारित है। अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और

मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार है। यह ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्राप्य समझते है; ऐसी चीज जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करें जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज जिसे हम जरूरी और वांछनीय समझें, अधिकार हैं। मैं जो चाहता हूँ और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता हैं, के बीच फर्क होता है। अधिकार उन बातों का घोतक होता है, जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है, कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है, तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। **17 वीं और 18 वीं शताब्दी** में राजनीतिक सिद्धान्तकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार **प्रकृति या ईश्वर** प्रदत्त है, और हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं। परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होने मनुष्य के **तीन प्राकृतिक अधिकार** चिन्हित किये थे– **जीवन का अधिकार**, **स्वतंत्रता का अधिकार** और **सम्पत्ति का अधिकार**। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं, काफी शक्तिशाली अवधारणा है क्योंकि इसका अर्थ यह है जो ईश्वर प्रदत्त है। और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। **हाल के वर्षों में** प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज्यादा **मानवाधिकार** शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग, मनुष्य होने मात्र से कुछ चीजों को पाने के अधिकारी हैं। अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का **सार्वभौम घोषणा–पत्र** बना है। यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है, जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। **सूचना का अधिकार** एक मौलिक अधिकार है, जो विभिन्न अधिकारों तथा दायित्वों से अस्तित्व में आता है। वे हैं– हर व्यक्ति का सरकार बल्कि कुछ मामलों में निजी संस्थाओं तक से सूचनाओं का निवेदन करने का अधिकार; सरकार का निवेदित सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कर्तव्य, बशर्ते उन सूचनाओं को सार्वजनिक न करने वाली सूचनाओं की श्रेणी में न रखा गया हो; और नागरिकों द्वारा निवेदन किए बिना ही सामान्य जनहित की सूचनाओं को स्वयं अपनी पहल पर सार्वजनिक करने का सरकार का कर्तव्य। भारतीय संविधान विशिष्ट रूप से सूचना के अधिकार का उल्लेख नहीं करता, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने काफी पहले इसे एक ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी जो लोकतान्त्रिक कार्य संचालन के लिए जरूरी है। विशिष्ट रूप से कहें तो उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19(1) (क)** द्वारा प्रत्याभूत बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अभिन्न अंग और **अनुच्छेद 21** द्वारा प्रत्याभूत जीवन के अधिकार के एक आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। सूचना तक पहुंच बनाने का अधिकार वस्तुतः इस तथ्य को दर्शाता है, कि सूचनाएं जनता की धरोहर होती है, न कि उस सरकारी संस्था की जिसके पास ये मौजूद होती हैं। सूचना पर किसी विभाग या तत्कालीन सरकार का स्वामित्व नहीं होता। सूचना का अधिकार एक असीम अधिकार नहीं है। जहाँ सूचनाओं को उपलब्ध कराये जाने से जनहित को नुकसान पहुँच सकता है, यहाँ कुछ सूचनाओं को गुप्त रखा जा सकता हैं। **धारा–3** सभी भारतीय नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करती है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 11** मई, सन् 2005 को लोकसभा द्वारा और 12 मई, सन् 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते है, तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के लिए प्रावधान करने की बात करते हैं। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है, और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं, और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा कर सकते हैं, ताकि तमाम वर्गों के बच्चे शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है, इस प्रकार, अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य है, और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है, जो दूसरों के द्वारा क्षति पहुँचाने से मुझे बचा सके। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि वह मुझे चोट या नुकसान पहुँचाने वालों को दण्डित करे। अधिकार सिर्फ यह ही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मसलन, किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार कहता है, कि राज सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती।

जे० ई० एस० फॉसेट के अनुसार, **''मानव अधिकार कभी–कभी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या प्राकृतिक अधिकारों के नाम से पुकारे जाते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनको किसी व्यवस्थापिका द्वारा छीना नहीं जा सकता है। प्राकृतिक अधिकार मनुश्य तथा नारी दोनों से सम्बन्धित हैं। साथ ही वे उनके स्वभाव से अनुकूल होते हैं।''** मानव अधिकार अपने इस नामकरण के लिए द्वितीय महायुद्ध के पश्चात बनने वाले अन्तराष्र्टीय चार्टरों तथा सम्मेलनों के ऋणी है। इस नाम का प्रथम प्रयोग संयुक्त राष्ट संघ के घोषणा पत्र या चार्टर में किया गया। यह घोषणा पत्र **25 जून 1945** को **सैन फ्राँसिस्को** में जारी किया गया। यह चार्टर बाध्यकारी नहीं है। इसमें आदर्श को अभिव्यक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने **10 दिसम्बर 1948** में मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा की। यह घोषणा भी बाध्यकारी नहीं थी। इस ऐतिहासिक कृत्य को आगे बढ़ाते हुए **सामान्य सभा** ने सभी सदस्य देशों से मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पाठ को प्रचारित करने का आवाह्न किया। सामान्य सभा ने देश या क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति पर ध्यान न देते हुए इसे विशेष तौर से विद्यालयों और अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रसारित और प्रदर्शित करने एवं पढ़ने और पढ़वाने का आवाह्न किया। 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की देखभाल के लिए दो अनुबन्ध तैयार किए। प्रथम नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों से सम्बन्धित तथा द्वितीय आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों पर तैयार किया गया। ये दोनों अनुबन्ध 1976 में लागू

किए गए। 1981 तक अधिकांश राष्ट्र राज्यों ने इन अनुबंधों को लागू करने के लिए कदम उठाने प्रारम्भ किये। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने 1946 में **मानवाधिकार आयोग** की स्थापना की। प्रारम्भ में इस कमीशन के 32 सदस्य थे। इस समय इसकी सदस्य संख्या 53 है। यह आयोग हजारों शिकायतें प्राप्त करता है और यह सरकारों को उनके उत्तर देने के लिए कहता है। इसने मानवाधिकारों के उल्लंघनों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। भारत 1966 के अन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध का एक सदस्य है। भारत ने इनमें निहित मानवाधिकारों के संरक्षण का दायित्व स्वयं लिया।

मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा

सार्वजनिक घोषणा में प्रस्तावना के साथ 30 अनुच्छेद हैं। प्रस्तावना में ''मौलिकता मानवाधिकारों, मानव की महत्ता तथा मनुष्य एवं स्त्री के समान अधिकारों की समानता में निष्ठा व्यक्त की गई है।'' मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की प्रस्तावना इस प्रकार हैः– **चूँकि, मानव परिवार के सभी सदस्यों की स्वाभाविक अंतर्निहित गरिमा तथा उनके सम्मान एवं अत्याज्य अधिकारों की प्रतिष्ठा विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति की आधारशिला है। चूँकि, मानव अधिकारों के उपहास एवं अवमानना के कारण मानवीय–चेतना को भयभीत करने वाले क्रूरतापूर्ण कृत्य प्रतिफलित हुए हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसे विश्व की स्थापना हो जिसमें सभी मनुष्य भाषण तथा विश्वास की स्वतंत्रता हासिल तथा भय तथा अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें, जो मानव समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण अभिलाषा है। चूँकि, यह आवश्यक है कि मनुष्य को अत्याचार तथा दमन के विरूद्ध अंतिम अस्त्र के रूप में विद्रोह न करना पड़े, इसलिए विधि के शासन द्वारा मानवाधिकारो, की रक्षा हो। चूँकि, राष्ट्रों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। चूँकि, संयुक्त राष्ट्र संध के देशों ने घोषणा पत्र में मूलभूत मानवाधिकारों, मनुष्य की गरिमा तथा महत्व तथा पुरूषों तथा महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति अपना विश्वास पुनः व्यक्त किया तथा व्यापक स्वतंत्रता की उपलब्धि हेतु उत्तम जीवन स्तर तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। चूँकि, सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के सहयोग से मानव अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के विश्व स्तर पर सम्मान तथा अनुपालन को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है, चूँकि, उक्त संकल्पों की पूर्ण उपलब्धि हेतु इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की सार्वदेशिक अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः आज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा, मानवाधिकारों के विश्वजनीत घोषणा पत्र को सभी सभ्यताओं तथा देशों के लिए उपलब्धि के सर्वमान्य मापदण्ड के रूप में तदर्थ घोषित करती है। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज का प्रत्येक अंग इस घोषणा पत्र का सदा विचार रखते हुए इन अधिकारों की स्वतंत्रता, स्वतंत्रताओं की मर्यादा को अध्यापन तथा शिक्षा के माध्यमों द्वारा प्रोत्साहित करेगा तथा विकासोन्मुख राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय साधनों द्वारा इनकी सर्वदेशिक तथा सशक्त स्वीकृति एवं अनुपालन द्वारा आपस में, सदस्य देशों की जनता के बीच तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले प्रदेशों की जनता के बीच स्थापित करेगा।** इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 व 2 सामान्य है और अनुच्छेद 3 से 21 नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों तथा अनुच्छेद 22 से 27 आर्थिक, सामाजिक अधिकारों से सम्बन्धित हैं। अनुच्छेद 28 से 30 उपसंहारात्मक है।

अनुच्छेद 1– इसमें कहा गया है कि सभी प्राणी स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं। अतः वे अधिकारों तथा महत्ता के क्षेत्र में समान हैं। उनमें विवेक तथा चेतना हैं। अतः उनको भ्रातृत्व भावना रखनी चाहिए।

अनुच्छेद 2– प्रत्येक व्यक्ति समस्त अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त करने का अधिकारी है।

अनुच्छेद 3– जीवन तथा स्वतन्त्रता का अधिकार।

अनुच्छेद 4– दासता तथा दास व्यापार का निषेध।

अनुच्छेद 5– अमानवीय व्यवहार तथा यातना का निषेध।

अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 10 व 11– कानून के समक्ष समानता तथा विधिक उपचारों के अधिकार।

अनुच्छेद 12 व 13– घूमने–फिरने का अधिकार, किसी भी देश को छोड़ने का अधिकार तथा अपने देश को वापस आने का अधिकार।

अनुच्छेद 14– विश्राम सील प्राप्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद 15 व 16– राष्ट्रीयता का अधिकार।

अनुच्छेद 17– सम्पत्ति रखने का अधिकार।

अनुच्छेद 18– विचार अन्तरात्मा तथा धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार।

अनुच्छेद 19– अभिव्यक्ति तथा सम्मति प्रकट करने का अधिकार।

अनुच्छेद 20 व 21– शान्तिपूर्ण ढ़ंग से सभा व संघ बनाने का अधिकार।

अनुच्छेद 22– सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 23, 24 व 25– कार्य करने का अधिकार, रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक अवसर चयन करने का अधिकार।

अनुच्छेद 26– शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद 27– विभिन्न कलाओं में आनन्द लेने का अधिकार तथा वैज्ञानिक विज्ञापनों में भाग लेना आदि।

अनुच्छेद 28– इस घोषणापत्र को पूर्णतः प्राप्त किया जा सकता है।

अनुच्छेद 29– इसमें उन दायित्वों का विवेचन किया गया है जिनका व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति निर्वाह करना है।

अनुच्छेद 30– इसमें कहा गया है कि कोई भी राष्ट्र इन अधिकारों की विवेचना अपने दृष्टिकोण से नहीं करेगा वरन् इसमें निहित

अधिकारों को प्रदान करने के लिए कार्य करेगा।

शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

शिक्षा बालक का सर्वांगीण विकास करके उसे तेजस्वी, बुद्धिमान, चरित्रवान, विद्वान तथा वीर बनाती है। तथा शिक्षा समाज की उन्नति के लिए भी आवश्यक तथा शक्तिशाली साधन हैं। शिक्षा लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा करने लायक बनाती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक व अवास्तविक अधिकारों में अन्तर बताती है। यदि व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता हैं तो वह न्यायिक लड़ाई लड़ सकता है। शिक्षा व्यक्ति को ऐसे ज्ञान देने में मदद करती है।

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ– शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की **शिक्ष्** धातु में **अ** प्रत्यय लगाने से बना है। **शिक्ष् का अर्थ है– सीखना।** इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ– **सीखने–सिखाने** की प्रक्रिया। शिक्षा को आंग्ल भाषा में **एजुकेशन** कहते है। 'एजुकेशन' शब्द की व्युत्पत्ति लेटिन भाषा के **एडूकेटम, एडुसेयर** एवं **एडुकेयर** से हुई है। यहॉ एडूकेटम का अर्थ है– **शिक्षित करना।** एडुसेयर का अर्थ है– **विकसित करना**। एडुकेयर का अर्थ है– **आगे बढ़ाना, बाहर निकालना।**

शिक्षा का संकुचित अर्थ– संकुचित अर्थ में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते है। **जे० एस० मैकेन्जी** के अनुसार– **''संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास तथा सुधार के लिए चेतनापूर्वक किये गये किसी भी प्रयास से हो सकता है।''**

शिक्षा का व्यापक अर्थ– शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभवों से है, जिसका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है। **जे० एस० मैकेन्जी** के अनुसार ''**व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यन्त चलती है तथा जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है।''**

शिक्षा का वास्तविक अर्थ– शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सोदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला–कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरन्तर विकास करते हैं।

शिक्षा की परिभाषा

- **सुकरात– ''शिक्षा का अर्थ है– प्रत्येक मनुष्य के मष्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्धमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना।''**
- **विवेकानन्द– ''शिक्षा मनुष्य के अन्दर सन्निहित पूर्णता का प्रदर्शन है।''**
- **शंकराचार्य– ''साः विद्या या विमुक्तये।''**
- **जॉन डीवी– ''शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियन्त्रण रखने तथा अपनी सम्भावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे।''**
- **महात्मा गॉधी – ''शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है।''**

मानवाधिकार शिक्षा

मानव अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित **लीग ऑफ नेशन्स** के माध्यम से शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में निम्नलिखित में निष्ठा व्यक्त की गई–

- ✓ अ– मौलिक अधिकारों में निष्ठा।
- ✓ ब– मानव की महत्ता में निष्ठा।
- ✓ स– मनुष्य तथा नारी के समान अधिकारों में आस्था।
- ✓ द– जीवन के उपयुक्त एवं अच्छे रहन–सहन के स्तर में निष्ठा।
- ✓ य– अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा मानवता को प्राप्त करने के लिए मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं में आस्था।
- ✓ र– ये अधिकार एवं स्वतन्त्रताऍ बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रदान करने पर बल।

1948 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की उक्त प्रस्तावना को प्राप्त करने के लिए मानवाधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में प्रस्तावना के साथ **30 धारायें या अनुच्छेद हैं।** इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, कि विश्व के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं के अधिकारी हैं।'' इस घोषणा पत्र के **अनुच्छेद– 26** में कहा गया हैं, **''प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है।''** इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है–

1. शिक्षा प्रारम्भिक तथा मूल स्तरों पर निःशुल्क होगी। प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी।
2. प्रारम्भिक तथा वृत्तिक शिक्षा को सामान्यतः उपलब्ध कराया जायेगा और उच्च शिक्षा को योग्यता के आधार पर सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किये जायेंगे।
3. शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए निर्देशित किया जायेगा।
4. शिक्षा को मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के सम्मान के लिए समृद्ध बनाया जायेगा।

5. शिक्षा सभी राष्ट्रों, प्रजातीय या धार्मिक समूहों में समझदारी सहिष्णुता तथा मित्रता को बढ़ाने के लिए कार्य करेगी।
6. शिक्षा शांति स्थापना के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का संचालन करेगी।
7. अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षा का चयन करने का अधिकार होगा।

मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य

टोर्नी पुर्ता ने अपने अनुसन्धान के आधार पर 1980 में मानवाधिकार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये।

1. मानवाधिकारों के लिए छात्रों में सार्वभौमिक उत्कण्ठा जाग्रत करना।
2. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के विषय में ज्ञान देना।
3. छात्रों को उन मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए तत्पर बनाना जो मानवाधिकारों के उल्लधन से सम्बन्धित है।
4. लोगों के प्रति सहृदयता विकसित करना, जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है।

1974 में यूनेस्को ने मानवाधिकार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया।

1. छात्रों में सभी देशों के लोगों, उनकी संस्कृति मूल्यों तथा जीवन के ढंगों के लिए समझदारी विकसित करना।
2. छात्रों को लोगों तथा राष्ट्रों की अन्यान्याश्रितता के प्रति जागरूक बनाना।
3. छात्रों को इस तथ्य से अवगत कराना कि मानव अधिकार शिक्षा उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सामर्थ्य के विकास के लिए अनिवार्य है।
4. छात्रों को शक्ति के दुरूपयोग से अवगत कराना जिससे वे हिंसा से स्वयं को दूर रखने में समर्थ हो सके।
5. सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना।
6. छात्रों में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना।

मानवाधिकार शिक्षा का पाठ्यक्रम

मानवाधिकार शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित प्रत्यक्ष तत्वों को स्थान प्रदान किया जा सकता है–

- संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर।
- मानवाधिकारों का घोषणा पत्र।
- मानवाधिकारों से सम्बन्धित अन्य अनुबन्ध।
- भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य।
- नागरिकों को प्राप्त विधिक उपचार।
- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
- विधिक साक्षरता।
- लोकतन्त्र।
- अल्पसंख्यकों के अधिकार।
- सांस्कृतिक समूह।
- विभिन्न राष्ट्रों के महान व्यक्तियों की जीवनियॉ।
- विश्व की महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराएँ।
- विभिन्न देशों की संस्कृतियों के विकास की कहानियॉ।
- मानवाधिकार आन्दोलन।

मानवाधिकार शिक्षा के उपागम एवं विधियॉ

मानवाधिकार शिक्षा के लिए तीन उपागमों का प्रयोग किया जा सकता है। **प्रथम– राष्ट्रीय उपागम**– इसके अन्तर्गत संविधान या कानून द्वारा व्यक्ति को प्रदान किए गये अधिकारों को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से राष्ट्र इस उपागम का प्रयोग नागरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के अन्तर्गत करते हैं। **द्वितीय– तुलनात्मक उपागम**– इसमें दूसरे देशों या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों को प्रदान किए गये अधिकारों को आधार बनाया जाता है। इसमें विभिन्न देशों की समानताओं एवं विषमताओं को स्पष्ट किया जाता है। तथा **तृतीय– अन्तर्राष्ट्रीय उपागम**– इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में जारी किये गये मानवाधिकार घोषणा पत्र के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इसके साथ राष्ट्रीय उपागमों की तुलना भी की जाती है। मानवाधिकार शिक्षा के शिक्षण के लिए शिक्षा संस्थाओं में व्याख्यान विधि के अतिरिक्त सामूहिक तकनीकों पर भी बल दिया जाता है, प्रमुख इस प्रकार है– सामूहिक विचार–विमर्श, सेमिनार, सिम्पोजिया, केस स्टडी पद्धति, अभिनय, वाद–विवाद प्रतियोगितायें, प्रतिवेदन तैयार करना, प्रदत्त कार्य, मॉक कार्य आदि। मानवाधिकार शिक्षा के लिए जनसंचार के साधनों– रेडियो, टी० वी०, समाचार–पत्र, जनरल्स, बुलेटिन, मैग्जीन, सामुदायिक केन्द्र आदि का प्रयोग किया जाता है। मानवाधिकारों की विषय–वस्तु का विचित्र क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। जिससे विश्व के अधिकाधिक नागरिकों को इनके प्रति जागरूक किया जा सके।

मानव अधिकार शिक्षा में अशासकीय संगठनों की भूमिका

मानवाधिकारों के संगठन में से अशासकीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उदाहरणार्थ–**एम्नेस्टी इण्टरनेशनल**– यह उन लोगों के लिए कार्य करती है, जो कैदी हैं। **दी माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप**– यह विश्व के बहुत से देशों में विभेदीकरण की समस्याओं के समाधान करती है। **वर्ल्ड कौंसिल करीक्यूलम एण्ड इन्स्ट्रक्शन**– संयुक्त राष्ट्र संघ व यूनेस्को का एक अशासकीय संगठन है। इस संगठन ने मानव अधिकार शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए है। यह 1987 में स्थापित हुआ। इस संगठन ने भारत के विभिन्न जिलों में मानव अधिकार शिक्षा पर विभिन्न योजनाएँ संचालित की है। इस समय यह संगठन वियना में वर्ल्ड कांन्फ्रेन्स द्वारा घोषित कार्यक्रमों को संचालित करने में लगा हुआ है। वियना में आयोजित वर्ल्ड कान्फ्रेन्स में 171 देशों के 7000 से अधिक सम्भागियों ने भाग लिया जिनमें 800 से अधिक अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधि थे। WCCI के भारत चैप्टर ने वियना सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने के लिए अमृतसर में महत्वपूर्ण घोषणा की। **अमृतसर घोषणा पत्र** में कहा गया– WCCI वियना घोषणा–पत्र को स्वीकार करती है। और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगी। WCCI मानव अधिकार शिक्षा पर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कोर्स तैयार करेगी। WCCI ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को भी इस क्षेत्र में अपना सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 1995 को **''एशियन इन्स्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन''** नामक अशासकीय संगठन की स्थापना **भोपाल** में की गई। इस संगठन ने भोपाल तथा सीहोर जिलों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रोजेक्ट चालू किये। इसने इन जिलों के सभी विकास खण्डों में सम्मेलन स्थापित किये। इस कार्य में संगठन ने मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग का भी सहयोग प्राप्त किया। इन जिलों में इस प्रोजेक्ट को सफलता प्राप्त हुई। यह संगठन 2000 ई० तक मध्यप्रदेश के अन्य सभी जिलों में मानवाधिकार शिक्षा के प्रोजेक्टो को चालू करेगा।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार

मूल अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। भारत में मौलिक अधिकार की सर्वप्रथम मॉग **संविधान विधेयक 1895** के माध्यम से की गई। 1917–1919 के दौरान कॉग्रेस द्वारा अनेक संकल्प पारित करके मॉग की गई कि भारतीयों को अंग्रेजों के समान सिविल अधिकार तथा समता का अधिकार प्रदान किया जाये। इसके बाद एनी बेसेण्ट, मोतीलाल नेहरू तथा गॉधी द्वारा मूल अधिकार प्रदान करने हेतु मॉग उठाई गयी। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारो की सेवाएँ ली। अनेक फ्लाइओवर और स्टेडियमों का निर्माण करना था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की। लेकिन उनके काम की शर्तें खराब थी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनका अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और नागरिकों को प्राप्त **'शोषण के विरूद्ध'** मौलिक अधिकार का उल्लघंन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह उन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तय मजदूरी दिलाए।

स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान, स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मॉग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिये। 1928 में ही **'मोतीलाल नेहरू समिति'** ने **'अधिकारों के एक घोषणापत्र'** की मॉग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतन्त्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। जहॉ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकरों में परिवर्तन के लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति और उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घौषित कर सकती है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबन्ध लगा सकती है। जब संविधान का प्रवर्तन किया गया उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी लेकिन 44 वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इस अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के **भाग– 3** के अनुच्छेद– 12 से 30 तक तथा 32 और 35 कुल 23 अनुच्छेदों में व्यक्तियों के मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में शामिल किये गए मूल अधिकारों के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

- ✓ एक ऐसी सरकार का गठन करना, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना हो।
- ✓ सरकार की शक्तियों को सीमित करना, जिससे सरकार नागरिकों की स्वतन्त्रताओं के विरूद्ध अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके।
- ✓ नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना।

➢ वर्तमान में भारतीय नागरिकों को निम्नः 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं–

1. **समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)**
2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)**

3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)**
4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)**
5. **सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)**
6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)**

❖ संविधान के अनुच्छेद 13 में मूलाधिकार से सम्बन्धित निम्नलिखित सिद्धान्तों को शामिल किया गया है।

- ➢ न्यायिक पुनर्विलोकन
- ➢ भावी प्रवर्तन
- ➢ अधित्यजन
- ➢ आच्छादन
- ➢ पृथ्क्करणीयता

मौलिक अधिकार में संशोधन

भारत में मौलिक अधिकार **संयुक्त राज्य अमेरिका** के संविधान से लिया गया है। इसमें संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने **संविधान की आत्मा** कहा है।

- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य** (1967 ई०) के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद** (1967 ई०) के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी। अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोंधन नहीं कर सकती है।
- **24वें संविधान संशोधन** (1971 ई०) द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गयी प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- **केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्यवाद** के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गयी अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया।
- **42 वें संविधान संशोधन** (1976 ई०) द्वारा अनुच्छेद 368 में खण्ड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गयी कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
- **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ** (1980 ई०) के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42 वें संविधान संशोधन द्वारा की गयी व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993

भारत में मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुसंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं मानव अधिकार न्यायालयों के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम। ये सम्पूर्ण भारत में लागू होगा। परन्तु यह कि यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर उसी सीमा तक लागू होगा जहॉ तक उसका संबंध उस राज्य प्रयोज्य संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची–1 या सूची 3 में वर्णित किन्ही प्रविष्टियों से सम्बन्धित मामलों से है। यह **28 सितम्बर, 1993** से प्रभाव में आया हुआ समझा जायेगा। भारत गणतन्त्र राज्य के चवॉलीसवें वर्ष में संसद निम्न प्रकार अधिनियम किया गया–

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

आयोग में निम्न होंगें– **(क)** अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। **(ख)** एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का सदस्य है, या सदस्य रहा है। **(ग)** एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या मुख्य न्यायाधीश रहा है। **(घ)** दो सदस्य, जिनकी नियुक्ति उस व्यक्ति में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का ज्ञान हो, या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग एवं महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों को **धारा 12** के **खण्डों ख** से **ब** में विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग के सदस्य समझा जायेगा। एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा वह आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित करेगा। आयोग का मुख्य कार्यालय **दिल्ली** में होगा तथा आयोग भारत सरकार की पूर्व अनुमति से, भारत में अन्य स्थानों में कार्यालय स्थापित करेगा। **अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों** को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति किया जायेगा। **उपधारा 2** के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य को उसके पद से, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उनके उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस सम्बध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जॉच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, यथास्थिति, को किसी ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए,

हटाया जायेगा। **उपधारा 1** में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा देगा, यदि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, यथास्थिति– **(क)** दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या **(ख)** अपने कार्यालय पदावधि में कार्यालय कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार में लगता है; या **(ग)** मस्तिष्क या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या **(घ)** विकृत चित्त का है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया है; या **(ड़)** किसी अपराध के लिए जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला है, सिद्ध दोष हो गया है एवं उसे कारागार की सजा दी गयी है। **अध्यक्ष एवं सदस्य** के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस दिनांक से जिसको वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, पॉच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु का नहीं होगा, इनमें जो भी पूर्व में हो, पद को धारित करेगा। सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पॉच वर्षो की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा। **अध्यक्ष** की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने के कारण, अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, उस रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक के लिए, प्राधिकृत करेगा। आयोग के गठन में **किसी पद रिक्ति** की विद्यमानता या उसमें किसी त्रुटि होने के आधार पर, आयोग किसी कृत्य या कार्यवाही को प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं किया जायेगा। आयोग ऐसे समय एवं स्थान पर **बैठक करेगा** जिसे अध्यक्ष उचित समझेगा। आयोग अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा। आयोग के समस्त आदेश एवं विनिश्चिय महासचिव या इस सम्बन्ध में अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिकृत आयोंग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे। भारत सरकार आयोग के लिए निम्न को उपलब्ध करायेगी– **(क)** भारत सरकार के सचिव के रेंक का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा, एवं **(ख)** एक ऐसे अधिकारी के अधीन, जो महानिदेशक, पुलिस के रेंक से नीचे का नहीं होगा, ऐसी पुलिस एवं अन्वेषणकर्ता कर्मचारी एवं ऐसे अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी जो, आयोग के कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादित के लिए आवश्यक हो। ऐसे नियमों के अधीन जो इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बनाए जायेंगे, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकि एवं वैज्ञानिक स्टॉफ नियुक्त करेगा जिसे वह आवश्यक समझेगा। **उपधारा 2** के अधीन नियुक्त अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तें एवं उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो निर्धारित की जायेगी। आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं **कृत्यों का निश्पादन करेगा,** अर्थात– **(क)** स्वप्रेंरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर,– **(1)** मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की; या **(2)** किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा; की शिकायत की जॉच करेगा, **(ख)** किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाई में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा; **(ग)** राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहॉ पर उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरूद्ध किया जाता हैं या रखा जाता हैं निवास करने वालों की जीवन की दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा, **(घ)** मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्राविधिक सुरक्षाओं का पुनर्विलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिसें करेगा; **(च)** मानव अधिकारों पर सन्धियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय लेखों का अध्ययन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेगा; **(छ)** मानव अधिकारों ने क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा; **(ज)** समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशको, साधनों जैसे मीडिया, सेमिनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन जागरूकता को विकसित करेगा; **(झ)** मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर–सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा; **(ञ)** ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया कोई अभिकथन, उस अभिकथन द्वारा झूंठी साक्ष्य देने के लिए अभियोग चलाने के अध्यधीन नहीं होगा या उसके विरूद्ध उपयोग में नहीं लिए जाएगा। परन्तु यह कि वह अभिकथन– **(क)** उस प्रश्न के उत्तर में किया गया हो जिसका उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा उससे अपेक्षा की गई हो; या **(ख)** जॉच के विषय से सुसंगत हो। आयोग अधिकारों के उल्लंघन की **शिकायतों की जांच** करते समय– **(1)** भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से सूचना या प्रतिवेदन ऐसे समय के भीतर मंगवायेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। परन्तु यह कि– **(क)** यदि वह सूचना या प्रतिवेदन आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो वह स्वयं शिकायत की जांच करने के लिए कार्यवाई करेगाः **(ख)** यदि सूचना या प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, आयोग का इससे समाधान हो जाता है कि या तो आगे और जांच करना अपेक्षित नहीं है या सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है या कर ली गई है, तो वह शिकायत पर कार्यवाई नहीं करेगा तथा तदनुसार शिकायतकर्ता को सूचना देगा; **(2) खण्ड 1** में अन्तर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक समझे तो जांच प्रारम्भ कर सकेगा। आयोग इस अधिनियम के अधीन आयोजित जांच के पूरा होने पर निम्नलिखित में से कोई कदम उठा सकता है अर्थात– **(1)** जहॉ जॉच मानव अधिकारों का उल्लंघन करने को या किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के निवारण में उपेक्षा को प्रकट करती है। तो वह सरकार या प्राधिकारी को अभियोजन की कार्यवाई या ऐसी अन्य कार्रवाई प्रारम्भ करने की सिफारिस करेगा जिसे आयोग सम्बन्धित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध उचित समझेगा; **(2)** उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धित उच्च न्यायालय में ऐसे निर्देश, आदेश या रिटों के लिए जाएगा जो वह न्यायालय आवश्यक समझेगा **(3)** पीड़ित या उसके परिवार के सदस्य को ऐसी तुरन्त राहत, जिसे आयोग आवश्यक समझेगा, प्रदान करने की सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी को सिफारिस करेगा; **(4) खण्ड 5** के उपबन्धों के अध्यधीन जांच प्रतिवेदन की एक प्रति याची, पिटीशनर या उसके प्रतिनिधि को देगा; **(5)** आयोग अपने जांच प्रतिवेदन की एक प्रति अपनी सिफारिशों के साथ सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा तथा सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी, एक माह की अवधि या ऐसे और समय के भीतर जिसे

आयोग स्वीकृत करेगा, उस पर की गई या की जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाई के साथ आयोग को अग्रेषित करेगा **(6)** आयोग अपने जांच प्रतिवेदन को सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी के अभिमतों, यदि कोई हो, तथा आयोग की सिफारिशों पर सम्बन्धित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तवित कार्यवाई को प्रकाशित करायेगा। आयोग भारत सरकार एवं सम्बन्धित राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी समय किसी भी ऐसे मामले पर जो उसकी राय में इतनी आवश्यकता एवं महत्व का है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक उसे आस्थागित नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुंत करेगा। भारत सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदनों को, आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन एवं उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ संसद के प्रत्येक सदन या राज्य विधानसभा के समक्ष, यथास्थिति, प्रस्तुत करायेगी।

राज्य मानव अधिकार आयोग

आयोग में निम्न होंगे– **(क)** अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश रहा है **(ख)** एक सदस्य, जो उच्च न्यायालय का सदस्य है, या सदस्य रहा है; **(ग)** एक सदस्य जो उस राज्य में एक जिला न्यायाधीश है या रहा है; **(घ)** दो सदस्य जिनकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिन्हें मानव अधिकारों से सम्बन्धित मामलों का ज्ञान हो या उसमें व्यावहारिक अनुभव हो। एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी होगा तथा राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे प्रत्यायोजित किये जायेंगे। राज्य आयोग का मुख्य कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करेगी। राज्य आयोग संविधान की **सातवीं अनुसूची** में **सूची–2** एवं **सूची–3** में उल्लिखित प्रविष्टियों में किसी से सम्बन्धित मामलों के बारे में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा। परन्तु यह कि यदि ऐसे किसी मामले पर पहले से ही आयोग या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिवत गठित किसी अन्य आयोग द्वारा जॉच की जा रही हो, तो राज्य आयोग उक्त मामले में जॉच नहीं करेगा। परन्तु यह और कि जम्मू एवं कश्मीर मानव अधिकार आयोग के सम्बन्ध में, यह उपधारा इस प्रकार प्रभाव रखेगी जैसी कि मानों शब्दों एवं अंको से संविधान की सातवीं अनुसूची में **सूची–2** एवं **सूची–3** को शब्द एवं अंक ''संविधान की सातवीं अनुसूची में **सूची–3** जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य तथा उन मामलों के सम्बन्ध में प्रयोज्य है, जिनके सम्बन्ध में उस राज्य के विधानमण्डल को नियम बनाने की शक्ति है'', द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। **अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति** राज्यपाल द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रासहित अधिपत्र द्वारा की जायेगी;–

(क) मुख्यमन्त्री	अध्यक्ष
(ख) विधानसभा का अध्यक्ष	सदस्य,
(ग) उस राज्य में गृह मन्त्रालय का प्रभारी मन्त्री	सदस्य,
(घ) विधानसभा में विपक्ष का नेता	सदस्य,

परन्तु यह और कि जहॉ किसी राज्य में विधान परिषद है, वहां उस परिषद, का सभापति एवं परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। परन्तु यह भी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या आसीन जिला न्यायाधीश के परामर्श के बाद के सिवाय नहीं की जायेगी। राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कोई नियुक्ति समिति में पात्र किसी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। **उपधारा 2** के उपबंधों के अध्यक्ष या किसी सदस्य का उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय को उपदेश दिये जाने पर, उच्चतम न्यायालय के द्वारा उस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर यह रिपोर्ट देने के बाद कि अध्यक्ष या ऐसा अन्य सदस्य, यथास्थिति किसी ऐसे सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जाना चाहिए। **उपधारा 1** में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा देगा, यदि अध्यक्ष या अन्य सदस्य, यथास्थिति– **(क)** दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या **(ख)** अपने कार्यालय पदावधि में कार्यालय कर्तव्यों के बाहर किसी वैतनिक रोजगार में लगता है; या **(ग)** मस्तिष्क या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने कि लिए अयोग्य है; या **(घ)** विकृत चित्त का है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित कर दिया गया है; या **(ड)** किसी अपराध के लिए जो राष्ट्रपति की राय में नैतिक पतन वाला है, सिद्ध दोष हो गया है एवं उसे कारागार की सजा दे दी गई है। अध्यक्ष की मृत्यु होने पर, त्याग पत्र देने के कारण, अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो,या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, उस रिक्ति को भरने के लिए नये अध्यक्ष की नियुक्ति किये जाने तक के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य सरकार आयोग के लिए निम्न को उपलब्ध करायेगी– **(क)** एक अधिकारी जो राज्य सरकार के सचिव रेंक से नीचे का नहीं होगा, जो राज्य आयोग का सचिव होगा; एवं **(ख)** एक ऐसे अधिकारी के अधीन जो महानिरीक्षक, पुलिस के रेंक से नीचे का नहीं होगा, ऐसी पुलिस एवं अन्वेषणकर्ता कर्मचारी एवं ऐसे अन्य अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी जो राज्य आयोग के कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन के लिए आवश्यक होंगे **(2)** ऐसे नियमों के अध्यधीन, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा बनाए जायेंगे, राज्य आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टॉफ नियुक्त करेगा जिसे वह आवश्यक समझेगा **(3) उपधारा 3** के अधीन नियुक्त अधिकारियों के वेतन भत्ते एवं उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी। राज्य आयोग राज्य सरकार को एक **वार्षिक प्रतिवेदन** प्रस्तुत करेगा तथा किसी भी समय किसी भी मामले पर, जो उसकी राय में, इतनी आवश्यकता एवं महत्व का है कि वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने तक उसे आस्थगित नहीं रखा जाना चाहिए, विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार, राज्य आयोग के वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदनों को आयोग की सिफारिश पर की गई या की जाने के लिए

प्रस्तावित कार्यवाई के ज्ञापन एवं उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ राज्य विधान मण्डल के जहां इसके दो सदन हों, प्रत्येक सदन या जहां विधान मण्डल में केवल एक सदन हो, उस सदन के समक्ष प्रस्तुत करायेगी। **धाराएं 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,** एवं **18** के उपबन्ध राज्य आयोग पर लागू होंगे तथा निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन होंगे अर्थात्– **(क)** ''आयोग'' के सन्दर्भ का अर्थ ''राज्य आयोग'' के सन्दर्भ में किया जायेगा; **(ख) धारा 10** की **उपधारा 3** में शब्द ''महासचिव'' के स्थान पर शब्द ''सचिव'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; **(ग) धारा 12** में, खण्ड (च) को विलोपित किया जायेगा, **(घ)– धारा 17** के खण्ड में, शब्द ''भारत सरकार'' या कोई विलोपित किये जायेंगे।

मानव अधिकार न्यायालय

मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिये उक्त अपराधों पर विचारण करने के लिए एक सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय होने के रूप में विनिर्दिष्ट करेगीः परन्तु यह कि इस धारा में की कोई बात लागू नहीं होगी यदि– **(क)** सत्र न्यायालय को पहले ही विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है; या **(ख)** वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय पहले ही गठित किया गया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक– प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस न्यायालय में मामलों को संचालित करने प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में किसी एक लोक अभियोजक को विनिर्दिष्ट करेगी या किसी ऐसे एडवोकेट को नियुक्त करेगी जो एडवोकेट के रूप में कम से कम सात वर्षों से प्रेक्टिस में रहा है।

वित, लेखा एवं लेखा परीक्षा

भारत सरकार, इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार इस सम्बन्ध में संसद द्वारा विनियोजित करने के बाद, **अनुदान** के रूप में आयोग को ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जिसे भारत सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किये जाने हेतु उपयुक्त समझेगी। आयोग इस अधिनियम के अधीन कार्यों को निष्पादित करने के लिए ऐसी राशि व्यय करेगी जो वह उचित समझे, तथा ऐसी राशि को उपधारा 1 में निर्दिष्ट अनुदानों में से व्यय के रूप में समझा जायेगा। राज्य सरकार, इस सम्बन्ध में कानून के अनुसार इस सम्बन्ध में विधानमण्डल द्वारा विनियोजन करने के बाद, अनुदान के रूप में राज्य आयोग को ऐसी धनराशि का संदाय करेगा जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने हेतु उपयुक्त समझेगी। राज्य आयोग **अध्याय 5** के अधीन कार्यों के निष्पादन के लिए ऐसी राशि तय करेगी जो वह उचित समझे, तथा ऐसी राशि को **उपधारा 1** में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेय व्यय के रूप में समझा जायेगा। **आयोग उचित लेखे एवं सुसंगत अभिलेख** रखेगा तथा लेखों का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जो भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा विहित किया जायेगा। आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर कराई जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे एवं ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में किया गया कोई भी व्यय आयोग द्वारा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक को संदेय होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं इस अधिनियम के अधीन आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रखेगा जो नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक सामान्यतया सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में रखता है, एवं विशेष रूप से, उसे आयोग की पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों एवं कागजों को मांगने का, तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित, आयोग के लेखों को, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ, आयोग द्वारा हर वर्ष भारत सरकार को अग्रेसित किया जायेगा तथा भारत सरकार इसे प्राप्त करने के बाद यथा शक्य शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के सामने प्रस्तुत करवायेगी। **राज्य आयोग उचित लेखे एवं सुसंगत अभिलेख** तैयार करेगा तथा लेखों का वार्षिक विवरण ऐंसे प्रपत्र में तैयार करेगा जो भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विहित किया जायेगा। राज्य आयोग के लेखों की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर कराई जायेगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायेंगे एवं ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में किया गया कोई भी व्यय राज्य आयोग द्वारा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को संदेय होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं इस अधिनियम के अधीन राज्य आयोग क लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में हीं अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रखेगा जो नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक सामान्यतया सरकारी लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में रखता है, एवं विशेष रूप से , उसे आयोग की पुस्तकों, लेखों, सम्बन्धित वाउचरों एवं अन्य दस्तावेजों एवं कागजातों को मांगने का, तथा राज्य आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य आयोग के लेखों को, उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य आयोग द्वारा हर वर्ष राज्य सरकार का अग्रेषित किया जायेगा तथा राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के बाद ,यथासम्भव शोध राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करायेगी।

विविध

आयोग ऐसे किसी मामले में जॉच नहीं करेगा जो राज्य आयोग या वर्तमान में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य आयोग के समक्ष लम्बित है। आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको कि मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वाला कृत्य किये जाने का आरोप किया गया है। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के किसी मामले में जॉच नहीं करेगा। वर्तमान में प्रवृत्त

किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहॉ सरकार ऐसा करने का विचार करती हो, मानव अधिकारों के उल्लंघन के उत्पन्न अपराधों एवं अन्वेषण एवं अभियोजन के लिए आवश्यक एक या अधिक **विशेष अन्वेशण दलों,** जिनमें पुलिस अधिकारी होंगे, का गठन करेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार, आयोग या उसके किसी व्यक्ति या भारत सरकार आयोग या राज्य आयोग में से किसी के निर्देश के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी चीज के सम्बन्ध में सद्भाव में की गई है या इस अधिनियम या तद्धीन निर्मित किन्हीं नियमों या किन्हीं आदेशों में किये जाने के लिए आशयित हैं या भारत सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य आयोग के प्राधिकारी द्वारा या के अधीन किसी प्रतिवेदन, पेपर या कार्यवाई के प्रकाशन के सम्बन्ध में, कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाई नहीं की जायेगी। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 21** के अर्थान्तर्गत लोक सेंवक समझा जायेगा। **भारत सरकार की नियम बनाने की भाक्ति– (1)** भारत सरकार, इस अधिनियम के उपबंधो को निष्पादित कराने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है **(2)** विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात;– **(क) धारा 8** के अधीन सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तेः **(ख)** शर्ते जिनके अध्यधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टॉफ की नियुक्ति आयोग द्वारा की जायेगी तथा **धारा 11** की **उपधारा 3** के अधीन अधिकारियों एवं अन्य स्टॉफ के वेतन एवं भत्ते; **(ग) धारा 13** की **उपधारा 1** के खण्ड (च) के अधीन विहित किये जाने हेतु अपेक्षित सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति; **(घ)** प्रपत्र जिसमें **धारा 34** की **उपधारा 1** के अधीन आयोग द्वारा लेखों को वार्षिक विवरण तैयार किया जाना है; एवं **(ङ)** कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जायेगा **(3)** इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के बाद यथा शक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह तीन दिन की कुल अवधि के लिए सत्र में हो जो एक सत्र या दो या दो से अधिक क्रमिक सत्रों को मिलाकर हो सकती है, प्रस्तुत रखा जायेगा एवं यदि उस सत्र या क्रमिक सत्रों के ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व दोनों सदन नियमों में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन यह स्वीकार करते हैं कि नियम नहीं बनायें जाने चाहिए, तो वह नियम उसके बाद उस उपान्तरित रूप में ही प्रभाव रखेगा या यथास्थिति निष्प्रभावी होगा; किन्तु तथापि यह कि ऐसा कोई भी उपान्तरण या निराकरण से उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी चीज की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। **धारा 40** की **उपधारा 2** के **खण्ड ख** के अधीन नियम बनाने की शक्तियों में पूर्ववर्ती प्रभाव से, जो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की सम्मति प्राप्त होने की तिथि से पूर्व प्रभाव वाले नहीं होंगे, नियम बनाने की शक्ति के, जिस पर यह नियम होते हैं, हितों को पूर्ववर्ती प्रभाव से प्रतिकूलतया प्रभावित नहीं करेंगे। राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को निष्पादित कराने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है। विशेष रूप से तथा पूर्वोक्त शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात– **(क) धारा 26** के अधीन सदस्यों के वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्ते; **(ख)** शर्तें जिनके अध्यधीन अन्य प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टॉफ की नियुक्ति राज्य आयोग द्वारा की जायेगी तथा धारा 27 की उपधारा 3 के अधीन अधिकारियों एवं अन्य स्टॉफ के वेतन एवं भत्तें; **(ग)** प्रपत्र जिसमें **धारा 35** की **उपधारा 1** के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाना है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- कौल, एल० (2009), *शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली,* नई दिल्लीः हाउस प्राइवेट लि०।
- गुप्ता, एन० के०, & एट० एल० (2016), *भारत का संविधान सिद्धान्त और व्यवहार,* देहरादूनः विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
- गुप्ता, एस० (2005), *एजुकेशन इन इमर्जिंग इण्डियॉ : टीचर्स रोल इन सोशाइटी,* दिल्लीः शिप्रा पब्लिकेशन्स।
- गोनस्लेवस्, एल० (2011), *वूमन एण्ड ह्यूमन राइट्स,* नई दिल्लीः ए० पी० एच० पब्लिसिंग कारपोरेशन।
- चड्डा, एस० सी० (2007), *टीचर्स एण्ड दी इमर्जिंग इण्डियन सोशाइटी,* मेरठः इण्टरनेशनल पब्लिसिंग हाउस।
- तनेजा, वी० आर० (1986), *एजुकेशनल थॉट एण्ड प्रैक्टिस,* नई दिल्लीः स्टिरलिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड।
- नारायण, बी०, & एट० एल० (2011), *सामान्य अध्ययन,* दिल्लीः यूनिक पब्लिकेशन्स।
- पाठक, पी० डी० (2007), *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ,* आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर।
- राय, पी०, & राय, सी० पी० (2012), *अनुसंधान परिचय,* आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
- लाल०, आर० बी०, & पलोड़, एस० (2008), *शैक्षिक चिन्तन एवं प्रयोग,* मेरठः आर० लाल बुक डिपो।
- शर्मा, आर० ए० (2011), *शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक मूल आधार,* मेरठः आर० लाल बुक डिपो।
- सक्सैना, एन० आर० एस०, & एट० एल० (2011), *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,* मेरठः आर० लाल० बुक डिपो।
- सिद्दकी, एफ० ई०, & रंगनाथन, एस० (2010), *हैण्डबुक ऑन वुमन एण्ड ह्यूमन राइट्सः ए गाइड फॉर सोशल एक्टिविस्टस,*
  भाग–2 क्राइम एण्ड पनिसमेण्ट : सर्च फॉर जस्टिस, नई दिल्लीः कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स।
- सिन्हा, पी० सी० (2015), *ग्लोबल सोर्शबुक ऑन ह्यूमन राइट्स पार्ट– 2,* नई दिल्लीः कनिष्क पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूट्र्स, ।
- सिंघल, वी० (2005), *सूचना का अधिकार अधिनियम,* मेरठः रवि पब्लिकेशन्स, ।
- सिंह, आर० के० (2010), *मैकनिक्स ऑफ रिसर्च राइटिंग,* बरेलीः प्रकाश बुक डिपो।

- सिंह, एस० के० (2009), *सामान्य ज्ञान,* पटनाः लूसेंट पब्लिकेशन।
- सिंह, आर० के०, & साह, एस० (नो ईयर), *सामान्य ज्ञान,* दिल्लीः किरन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।
- श्रीवास्तव, ए०, & एट० एल० (2015), *राजनीतिक सिद्धान्त,* देहरादूनः विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- कानून प्रकाशक लेखक गाइड (2015), *मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,* जोधपुरः कानून प्रकाशक।

देवेन्द्र सिंह चम्याल

एम० एस–सी० रसायन विज्ञान, एम० ए० गणित, एम० ए० इतिहास, एम० एड० (गोल्ड मैडलिस्ट), शोध छात्र, शिक्षा संकाय, कुमाऊँ वि०वि० नैनीताल, एस० एस० जे० परिसर, अल्मोड़ा।